

प्रेस-विज्ञप्ति
जनपद कानपुर देहात।

दिनांक:- 15.02.2021

थाना शिवली

दिनांक 14.02.2021 को थाना स्थानीय के अभियोग अ0सं0 67/21 धारा 3/10 उ0प्र0 गुण्डा अधि0 व 68/21 धारा 4/25 शस्त्र अधि0 में अभियुक्त शमीम को पुलिसबल द्वारा गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

(2)

दिनांक 14.02.2021 को थाना स्थानीय के अभियोग अ0सं0 69/21 धारा 3/10 उ0प्र0 गुण्डा अधि0 व 70/21 धारा 4/25 शस्त्र अधि0 में अभियुक्त आजाद को पुलिसबल द्वारा गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

(3)

दिनांक 14.02.2021 को थाना स्थानीय के अभियोग अ0सं0 71/21 धारा 3/10 उ0प्र0 गुण्डा अधि0 व 68/21 धारा 3/25 शस्त्र अधि0 में अभियुक्त भूरा उर्फ फहीम को पुलिसबल द्वारा गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

(4)

दिनांक 14.02.2021 को थाना स्थानीय के अभियोग अ0सं0 51/16 धारा 354 भा0द0वि0 व 7/8 पाक्सो एक्ट में वारन्टी अभियुक्त छैली उर्फ शैलबाबू को पुलिसबल द्वारा गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

थाना मूसानगर

दिनांक 14.02.2021 को थाना स्थानीय के अभियोग अ0सं0 150/20 धारा 376ए.बी/511/354क/354घ भा0द0वि0 व 6/8/9/10 पाक्सो एक्ट में वारन्टी अभियुक्त थ्वपिन कुमार को पुलिसबल द्वारा गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

थाना अकबरपुर

दिनांक 14.02.2021 को थाना स्थानीय के अभियोग अ0सं0 373/17 धारा 354 भा0द0वि0 व 8 पाक्सो एक्ट में वारन्टी अभियुक्त दीपक को पुलिसबल द्वारा गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

(2)

दिनांक 14.02.2021 को थाना स्थानीय के अभियोग अ0सं0 912/13 धारा 354/452/506 भा0द0वि0 में वारन्टी अभियुक्त मोहित उर्फ बउआ को पुलिसबल द्वारा गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

(3)

दिनांक 14.02.2021 को थाना स्थानीय के अभियोग अ0सं0 522/09 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट में वारन्टी अभियुक्त दरोगा उर्फ छोटेलाल को पुलिसबल द्वारा गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

(4)

दिनांक 14.02.2021 को थाना स्थानीय के अभियोग अ0सं0 233/09 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट में वारन्टी अभियुक्त मुखिया उर्फ रामशंकर को पुलिसबल द्वारा गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

(5)

दिनांक 14.02.2021 को थाना स्थानीय के अभियोग अ0सं0 67/15 धारा 323/504 भा0द0वि0 में वारन्टी अभियुक्त असलम को पुलिसबल द्वारा गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

(6)

दिनांक 14.02.2021 को थाना स्थानीय के अभियोग अ0सं0 427/10 धारा 452/324/323/504 भा0द0वि0 में वारन्टी अभियुक्तगण प्रताप सिंह आदि 03 नफर को पुलिसबल द्वारा गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

(7)

दिनांक 14.02.2021 को थाना स्थानीय के अभियोग अ0सं0 67/15 धारा 323/504 भा0द0वि0 में वारन्टी अभियुक्त तौसिफ को पुलिसबल द्वारा गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

(8)

दिनांक 14.02.2021 को थाना स्थानीय के अभियोग अ0सं0 286/17 धारा 420/468/272/273 भा0द0वि0 व 60/62/63 आबकारी अधि0 में वारन्टी अभियुक्त उमेश को पुलिसबल द्वारा गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

(9)

दिनांक 14.02.2021 को थाना स्थानीय के अभियोग अ0सं0 119/20 धारा 498ए/354/323/504 भा0द0वि0 में वारन्टी अभियुक्त सतीश को पुलिसबल द्वारा गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

थाना मंगलपुर

दिनांक 14.02.2021 को थाना स्थानीय के अभियोग अ0सं0 78/21 धारा 307 भा0द0वि0 में वांछित अभियुक्त गुरुमुख एर्फ शनि को पुलिसबल द्वारा गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

(2)

दिनांक 14.02.2021 को थाना स्थानीय के अभियोग अ0सं0 324/12 धारा 147/332/504 भा0द0वि0 में वारन्टी अभियुक्त वीरू को पुलिसबल द्वारा गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

(3)

दिनांक 14.02.2021 को थाना स्थानीय के अभियोग अ0सं0 247/86 धारा 452/323 भा0द0वि0 में वारन्टी अभियुक्त सुरेश को पुलिसबल द्वारा गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

(4)

दिनांक 14.02.2021 को थाना स्थानीय के अभियोग अ0सं0 425/07 धारा 21/22 एन.डी.पी.एस. एक्ट में वारन्टी अभियुक्त विनोद को पुलिसबल द्वारा गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

(5)

दिनांक 14.02.2021 को थाना स्थानीय के अभियोग अ0सं0 54/16 धारा 363/366/376 भा0द0वि0 व 8 पाक्सो एक्ट में वारन्टी अभियुक्त हरिशचन्द्र को पुलिसबल द्वारा गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

(6)

दिनांक 14.02.2021 को थाना स्थानीय के अभियोग अ0सं0 309/12 धारा 18/20 एन.डी.पी.एस. एक्ट में वारन्टी अभियुक्त मोहित उर्फ संतोष को पुलिसबल द्वारा गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

थाना देवराहट

दिनांक 14.02.2021 को थाना स्थानीय के अभियोग अ0सं0 93/13 धारा 323/307/504 भा0द0वि0 में वारन्टी अभियुक्त उदयनरायण को पुलिसबल द्वारा गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

थाना अमराहट

दिनांक 14.02.2021 को थाना स्थानीय के अभियोग अ0सं0 20/18 धारा 452/323/504/354 भा0द0वि0 व 8 पाक्सो एक्ट में वारन्टी अभियुक्त कुलदीप को पुलिसबल द्वारा गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

थाना सट्टी

दिनांक 14.02.2021 को थाना स्थानीय के अभियोग अ0सं0 76/10 धारा 363/366/504 भा0द0वि0 में वांछित अभियुक्त चन्द्रशेखर को पुलिसबल द्वारा गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।